न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/149/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/452

अपीलार्थी

श्री पूरनसिंह पुत्र ईश्वरमल,
नि0 ककराली, पोस्ट–गोठडा,
वाया–किशनगढबास, जिला–अलवर (राज.)–301405

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 13.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 12.09.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री रतनलाल पुत्र श्री नत्थूराम के द्वारा अवैध रूप से बेचे जा रहे डीजल व पेट्रॉल के संबंध में बिन्दुवार 01 लगायत 16 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 06.10.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतुं कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2598 दिनांक: 31.10.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील प्रा0पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन–पत्र दिनांक: 12.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में ही पत्र सं. 2339 दिनांक: 23.09.2022 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर अधिनियम के विधिक प्रावधानों के आलोक में अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है तथापि अपीलार्थी के आक्षेप पर प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत वांछित सूचना के संबंध में पूर्व प्रेषित सूचना **जरिये रजिस्टर्ड डाक** अपीलार्थी को पुनः प्रेषित करें।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)